संख्या-21/2023/161/अड़तीस-9-23/002-9002 002 5 2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई,2023

विषयः- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-14/2023/104/अड़तीस-9-2023-38-9002(002)/5/2022 दिनांक-09.05.2023 तथा सपठित शासनादेश संख्या-15/2023 /115/अड़तीस-9-2023-38-9002(002)/5/2022 दिनांक-10.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-16/2023/118/अड़तीस-9-2023-38-9002(002)/5/2022 दिनांक-12.05.2023 द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के 499 मा0 सदस्यों (401 मा0 सदस्य विधान सभा+98 मा0 सदस्य विधान परिषद) को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम किश्त हेतु प्रति मा0 सदस्य रू0 1.50 करोड़ की दर से कुल धनराशि रू0 74850.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 सात अरब अड़तालीस करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है।

**2-** शासनादेश संख्या-18/2023/156/अड़तीस-9-23/500(39)/2023टी0सी0 दिनांक-03.07.2023 विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन के सम्बन्ध में निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक-03.07.2023 में मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन अन्तर्गत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि प्रति मा0 सदस्य रू0 3.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) से बढ़ाकर रू0 5.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) कर दी गयी है। इसके दृष्टिगत प्रति मा0 सदस्य हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 2.50 करोड़ परिगणित होती है।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु उपर्युक्त अंकित शासनादेशों दिनांक-09.05.2023, 10.05.2023 एवं 12.05.2023 के संलग्नक में उल्लिखित 499 मा0 सदस्यों हेतु प्रथम किश्त के लिए अन्तर की धनराशि प्रति मा0 सदस्य रू0 1.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) की दर से धनराशि रू0 499.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) तथा संलग्न सूची के अनुसार 02 रिक्त विधान सभा एवं 02 रिक्त विधान परिषद की सीटों पर नवनिर्वाचित 04 मा0 सदस्यगण हेतु रू0 2.50 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) की दर से धनराशि रू0 10.00 करोड़ (जी0एस0टी0

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहित) अर्थात कुल धनराशि रू0 509.00 करोड़ (रू0 पॉच सौ नौ करोड़ मात्र) जी0एस0टी0 सहित को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्रावधान तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(4) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(5) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17.03.2023 में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**4-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,09,00,00,000 (रूपये पांच अरब नौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-013 लेखा शीर्षक 4515008000600 विधान मंडल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-21/2023/161/अड़तीस-9-23/002-38-9002 002 5 2022 , तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0, शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 ।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 ।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति ,विधान परिषद, उ0प्र0 ।
9- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
13- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http://shas

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-21/2023/161/38-9-2023-38-9002(002)/5/2022 दिनांक-13 जुलाई, 2023 का संलग्नक

विधान सभा एवं विधान परिषद के नव निर्वाचित मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची

विधान सभा

| क्र0सं0 | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम | नोडल जनपद का नाम | अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 34. स्वार | रामपुर | 250.00 |
| 2 | 395. छानबे | मिर्जापुर | 250.00 |

विधान परिषद

| क्र0सं0 | विधान परिषद सदस्य का नाम | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | नोडल जनपद का नाम | अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री पदमसेन चौधरी | उ0प्र0 विधान सभा | बहराइच | 250.00 |
| 2 | श्री मानवेन्द्र सिंह | उ0प्र0 विधान सभा | कानपुर | 250.00 |

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।